



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-17012026-269404
CG-DL-W-17012026-269404

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 17—जनवरी 23, 2026 (पौष 27, 1947)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 17—JANUARY 23, 2026 (PAUSA 27, 1947)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं, ...	11	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं, ...	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	23	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं), ...	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश, ...	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	111	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, ...	113
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम, ...	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस, ...	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ, ...	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, ...	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट, ...	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं, ...	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं), ...	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस, ...	271
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्णक, ...	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	11	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	23	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	111	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	113
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	271
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 2026

संकल्प

सं. 5(3)-बी(पी.डी.)/2023—आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2025-26 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर 1 जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026 तक 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) होगी। यह दर 1 जनवरी, 2026 से लागू होगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं:—

- सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवाएं)।
 - अंशदायी भविष्य निधि (भारत)।
 - अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
 - राज्य रेलवे भविष्य निधि।
 - सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
 - भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
 - भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि।
 - भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
 - रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
 - सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।
2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

व्यासन आर.
संयुक्त सचिव

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 जनवरी 2026

संकल्प

सं. ई-11013/2/2024-हिंदी—पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की पिछली हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाने और 18वीं लोक सभा के गठन होने के उपरांत पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने उक्त समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। समिति का गठन, कार्य और कार्यकाल आदि निम्नानुसार होंगे:—

- | | |
|---|-----------|
| 1. माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष |

सरकारी सदस्य

1.	सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	सदस्य
2.	सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
3.	विशेष सचिव / अपर सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	सदस्य
4.	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	सदस्य
5.	वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार/आर्थिक सलाहकार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	सदस्य सचिव
6.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
7.	मुख्य अभियंता और प्रशासक, अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह संकर्म, श्री विजयपुरम (पोर्ट ब्लेयर)	सदस्य
8.	अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, मुंबई	सदस्य
9.	महानिदेशक, नौवहन महानिदेशालय, मुंबई	सदस्य
10.	अध्यक्ष, मुंबई पत्तन प्राधिकरण, मुंबई	सदस्य
11.	अध्यक्ष, दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, कांडला	सदस्य
12.	अध्यक्ष, पारादीप पत्तन प्राधिकरण, पारादीप	सदस्य
13.	अध्यक्ष, मुरगांव पत्तन प्राधिकरण, गोवा	सदस्य
14.	अध्यक्ष, चैन्ने पत्तन प्राधिकरण, चैन्ने	सदस्य
15.	अध्यक्ष, विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण, विशाखापट्टणम	सदस्य
16.	अध्यक्ष, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन प्राधिकरण, कोलकाता	सदस्य
17.	अध्यक्ष, वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण, तूतीकोरिन	सदस्य
18.	अध्यक्ष, नव मंगलूर पत्तन प्राधिकरण, मंगलूरु	सदस्य
19.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कोचिन शिपयार्ड लि., कोचिन	सदस्य
20.	अध्यक्ष, कोचिन पत्तन प्राधिकरण, कोचिन	सदस्य

गैर-सरकारी सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित संसद सदस्य:

21.	श्री चावड़ा विनोद लखमशी, सांसद (लोक सभा)	सदस्य
22.	श्री राजू बिष्ट, सांसद (लोक सभा)	सदस्य
23.	श्री मदन राठौड़, सांसद (राज्य सभा)	सदस्य
24.	श्री प्रदीप कुमार वर्मा, सांसद (राज्य सभा)	सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित

25.	श्री भर्तृहरि महताब, सांसद (लोक सभा)	सदस्य
26.	श्री राजेश वर्मा, सांसद (लोक सभा)	सदस्य

गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद

27.	डॉ. राम गोपाल सिंह	सदस्य
-----	--------------------	-------

केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा नामित

28.	श्री राकेश कुमार वर्मा, कार्यपालक अभियंता (वै.)	सदस्य
-----	---	-------

पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

29.	श्री बिरजू चंद गुप्ता, संपादक दैनिक अकेला, तिनसुकिया	सदस्य
30.	श्री रविशंकर रवि, संपादक दैनिक पूर्वोदय, गुवाहाटी	सदस्य
31.	डॉ. प्रोवीर कुमार बैदय, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्लासी कॉलेज, नदिया, पश्चिम बंगाल	सदस्य
32.	श्री धीरेंद्र पुंडीर, कार्यकारी संपादक	सदस्य

राजभाषा विभाग द्वारा नामित किए गए गैर-सरकारी सदस्य

- | | | |
|-----|--|-------|
| 33. | डॉ.पी.सी. रयुलु, अध्यक्ष और प्रबंधन ट्रस्टी, कस्तूरबा गांधी केंद्र ट्रस्ट, तिरुपति व अन्य। | सदस्य |
| 34. | श्री रामगोपाल वर्मा (सरपट सादलपुरी), हास्य व्यंग कवि | सदस्य |
| 35. | श्रीमति एन. जयप्रभा, संस्थापक, साई नवजीवन फाउंडेशन | सदस्य |

II समिति के कार्य

यह समिति, केंद्रीय हिंदी समिति और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीतियों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मामलों में सलाह देगी।

III कार्यकाल

इस समिति का कार्यकाल, सामान्य रूप से इसके गठन की तारीख से निम्नलिखित बातों के अध्यक्षीन 3 वर्ष का होगा :—

- क. जो संसद सदस्य, इस समिति के सदस्य हैं, वे संसद-सदस्य नहीं रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे;
- ख. जो संसद सदस्य, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य होने की हैसियत से इस समिति के सदस्य हैं, वे संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य नहीं रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे;
- ग. इस समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक इस समिति के सदस्य रहेंगे; तथा
- घ. यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा किसी सदस्य द्वारा समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिए जाने के कारण कोई स्थान खाली हुआ, तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य, इस समिति के कार्यकाल की शेष अवधि तक ही सदस्य रहेगा।

IV यात्रा तथा अन्य भत्ते

राजभाषा विभाग के दिनांक 03.02.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं.-II/20034/4/2005- रा.भा.(नीति-2) के अनुसार समिति के गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा एवं दैनिक भत्तों का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:—

- (क) समिति में नामित सांसदों को “संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954” के प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों के अनुसार यात्रा भत्तों तथा दैनिक भत्तों का भुगतान किया जाएगा।
- (ख) समिति के अन्य गैर सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं0-II/22034/4/86- रा. भा. (क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुरूप यात्रा भत्तों और दैनिक भत्तों का भुगतान किया जाएगा।

V सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, लेकिन आवश्यक होने पर समिति की बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित की जा सकती हैं।

VI आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय तथा इसके सभी नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों/ सहकारी समितियों/ संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों/ स्वायत्त संगठनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अनिमेष भारती
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 9th January 2026

RESOLUTION

No. 5(3)-B(PD)/2023—It is announced for general information that during the year 2025-26, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.1% (Seven point one percent) w.e.f. 1st January, 2026 to 31st March, 2026. This rate will be in force w.e.f. 1st January, 2026. The funds concerned are:—

1. The General Provident Fund (Central Services).
 2. The Contributory Provident Fund (India).
 3. The All India Services Provident Fund.
 4. The State Railway Provident Fund.
 5. The General Provident Fund (Defence Services).
 6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
 7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
 8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
 9. The Defence Services Officers Provident Fund.
 10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.
2. Ordered that the Resolution be published in Gazette of India.

Vyasan R.
Joint Secretary

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

New Delhi- 110001, the 1st January 2026

RESOLUTION

No. E- 11013/2/2024-Hindi—Consequent upon the end of tenure of the previous Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Port, Shipping and Waterways and after the constitution of the Eighteenth Lok Sabha, the Government of India has decided to reconstitute the said Committee. The Composition, functions and tenure etc. of the committee will be as under:—

- | | |
|---|------------------|
| 1. Minister of Ports, Shipping and Waterways | CHAIRMAN |
| 2. Minister of State for Ports, Shipping and Waterways | VICE- CHAIRMAN |
| Official Members | |
| 1. Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways | Member |
| 2. Secretary, Department of Official Language | Member |
| 3. Special Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways | Member |
| 4. Addl. Secretary & Economic Advisor, Ministry of Ports, Shipping and Waterways | Member |
| 5. Senior Economic Advisor/Economic Advisor, Ministry of Ports, Shipping and Waterways | Member Secretary |
| 6. Joint Secretary, Department of Official Language | Member |
| 7. Chief Engineer and Administrator, Andaman and Lakshdweep Harbor Works, Sri Vijaya Puram (Port Blair) | Member |
| 8. Chairman, Jawaharlal Nehru Port Authority, Mumbai | Member |
| 9. Director General, Directorate General of Shipping, Mumbai | Member |
| 10. Chairman, Mumbai Port Authority, Mumbai | Member |
| 11. Chairman, Deendayal Port Authority, Kandala | Member |
| 12. Chairman Paradip Port Authority, Paradip | Member |

13. Chairman, Mormugao Port Authority, Goa	Member
14. Chairman, Chennai Port Authority, Chennai	Member
15. Chairman, Vishakhapatnam Port Authority, Vishakhapatnam	Member
16. Chairman, Syama Prasad Mookerjee Port Authority, Kolkata	Member
17. Chairman, V. O. Chidambaranar Port Authority, Tuticorin	Member
18. Chairman, New Mangalore Port Authority, Mangalore	Member
19. Chairman and MD, Cochin Shipyard Ltd. Cochin	Member
20. Chairman, Cochin Port Authority, Cochin	Member

Non-Official Members

Nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs

21. Shri Chavda Vinod Lakhamshi, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
22. Shri Raju Bisht, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
23. Shri Madan Rathore, Member of Parliament (Rajya Sabha)	Member
24. Mr. Pradeep Kumar Verma, Member of Parliament (Rajya Sabha)	Member

Nominated by the Committee of the Parliament on Official Language

25. Shri Bhartrihari Mahtab, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member
26. Shri Rajesh Verma, Member of Parliament (Lok Sabha)	Member

Gujrat Vidyapeeth, Ahmedabad

27. Shri Ram Gopal Singh, Gujrat Vidyapeeth, Ahmedabad	Member
--	--------

Nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

28. Shri Rakesh Kumar Verma, Executive Engineer (Electrical)	Member
--	--------

Non-Official Members Nominated by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways

29. Shri Birju Chand Gupta, Editor, Daily Akela, Tinsukia Mr. Dhirendra Pundir, Journalist	Member
30. Shri Ravi Shankar Ravi, Editor, Daily Purvodaya, Guwahati	Member
31. Dr. Probir Kumar Baiday, Assistant Professor, Plassey College, Nadia, West Bengal	Member
32. Shri Dhirendra Pundir, Executive Editor	Member

Non- Official Members nominated by the Department of Official Language

33. Dr. P.C. Rayulu, Chairman and Managing Trustee “Kasturba Gandhi Kendra Trust” and others	Member
34. Shri Ramgopal Verma, (Sarpat Sadalpuri), Humorist and Satirist Poet	Member
35. Ms. N. Jai Prabha, Founder, Sai Jeevan foundation and Others	Member

II Functions of the Committee

The Samiti will advise on the matters relating to the progressive use of Hindi in Official work of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways in accordance with the policies laid down and the guidelines issued by the Kendriya Hindi Samiti and Department of Official Language in this regard from time to time.

III Tenure

The Tenure of the Samiti will ordinarily be three years from the date of its constitution provided that:—

- a. The Members of the Parliament who are the members of the Samiti shall cease to be the members of the Samiti as soon as they cease to be the Members of Parliament.

- b. The Members of Parliament who are the members of the Samiti by virtue of their being members of the Committee of the Parliament on Official Language shall cease to be the members of the Samiti as soon as they cease to be the Members of the Committee of the Parliament on Official Language;
- c. Ex-Officio members of the Samiti shall continue to be Members of the Samiti as long as they hold the office by virtue of which they are the members of the Samiti; and
- d. If any vacancy arises in the Samiti owing to the death of a member or owing to tendering of resignation by a member, the member so appointed against that vacancy shall hold office for the residual term of the Samiti.

IV Travelling and other allowances

As per Department of Official Language's Office Memorandum No.II/20034/4/2005-O.L.(Policy-2) dated 03.02.2006, Travelling Allowance and Daily Allowance to non-Official Members of the Samiti will be paid as under:-

- a. The Members of Parliament nominated in this committee will be paid Travelling Allowance and Daily allowance for attending the meetings of the Samiti as per the provisions of the Members of Parliament (Salary, Allowance and Pension) Act, 1954 and Rules made thereunder and the amendments issued from time to time.
- b. Travelling Allowance and Daily Allowance to other Non Official Members of the Samiti will be paid as per guidelines contained in the Department of Official Language's Office Memorandum No.II/22034/04/86- O.L. (A-2) dated 22 January, 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules of the Government of India as amended from time to time.

V General

Headquarter of the Committee will be at New Delhi, but it may hold its meetings at any other station also, if required.

VI Order

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the State Governments and Union Territory Administrations, All Ministries/ Departments of Government of India, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Niti Aayog, Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India and Pay & Accounts Office and PSUs/ Cooperatives/ Attached/Subordinate offices/ Autonomous Bodies under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways.

It is also ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general public information.

ANIMESH BHARTI
Economic Advisor (Ports Wing)